न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/19/2016

ओमप्रकाश शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश 15/2016 जिला रसद अधिकारी, भरतपुर दिनांक 17–05–2016

उपस्थित :–

श्री गजेन्द्र सिंह फौजदार अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 28.05.2019**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 17–05–2016 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषाक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्व है। उनका कहना है कि तहत न्यायालय अपने आदेश में किसी भी प्रकार से कोई आरोप अपीलान्ट सिद्व नहीं किये हैं और ना हीं अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से किसी भी आरोप को सिद्ध मानने के लिये कोई विवेचन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बिन्दु संख्या एक में वर्णित आरोप की खाद्य सुरक्षा में गैर पात्र लाभार्थियों को वितरण रिकॉर्ड में वितरण दर्शाकर 18.35 क्वि0 गेंहू का दुरूप्योग किया है। सरासर गलत व विपरीत रिकार्ड है। जिन लाभाथ्रियों के राशनकार्ड पर खाद्य सुरक्षा पत्रता की मौहर विधान

सभा चुनाव के कारण नहीं लग पाई अपीलांट द्वारा गेंहू का वितरण सूची के अनुसार किया जाकर इन्द्राज अपने वितरण रजिस्टर में किया गया था। सभी पात्र उपभोक्ताओं को उक्त माह का गेंहू का वितरण किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश में वर्णित आरोप की अपीलान्ट द्वारा 132 लीटर कैरोसीन का दुरूपयोग किया है। सरासर गलत व विपरीत रिकार्ड है।अपीलांट को प्रताडित करने के उददेश्य से शिकायत की गई थी। मौके पर जांच पडताल नहीं की गई थी। ना ही मौके पर स्टाक में गडबडी पाई गयी। उपभोक्ताओं को नियमानुसार सामिग्री का वितरण किया जाता है। यह अपीलांट के विरूद्व न्यायायल द्वारा पारित उक्त आदेश राजनैतकि देषता से सरपंच द्वारा झूठी शिकायत कराई गई है। सरपंच राजनैतिक दबाब डालकर अपने आदमियों को खाद्य सामिग्री दिलाना चाहता था। मेरे मना करने पर कि खाद्य पात्र व्यक्तियों को ही खाद्य सामिग्री दी जावेगी और अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया है। अपीलांट के खिलाफ निर्णय जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा यह कथन किया है कि राशनकार्डों में कई स्थानों पर खाद्यान्न का वितरण दर्ज नहीं है। तथा उपभोक्ताओं को गेंहू नहीं मिलना बताया । इस बात की शिकायत की है। तहत न्यायालय को अगर कोई सन्देह था उन्हें सम्बन्धित उपभोक्ताओं को तलब कर बयान वगेरा लेने चाहिये थे। तहत न्यायालय ने मात्र प्रस्तुत प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देना कानून गलत है। अपीलान्ट पर कोई कालाबाजारी या गबन करने का कोई गंभीर आरोप नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान की जांच शिकायत पर की गई जांच में पाया कि डीलर ने खाद्य सुरक्षा में गैर पात्र लाभार्थियों को वितरण दर्शाकर 18 क्वि0 35 किलो गेंहू का दुरूपयोग करना स्पष्ट प्रकट होता हैं। डीलर द्वारा खाद्य सुरक्षा के गैर पात्र लाभार्थियों को वितरण दर्शाकर 18 क्वि0 35 किलो पात्र लाभार्थियों को जानबूझकर गेहं का वितण नहीं किया है। और माह जुलाई 2015 से अनेक उपभोक्तओं को एक भी बार खाद्यान्न का वितरण नहीं किया है जबकि गैर पात्र परिवारों को वितरण दर्शाकर दुरूप्योग की गई 18 क्वि0 35 प्रतिमाह 4 क्वि0 गेहू पात्र परिवार को न दिया जाना भी प्रदर्शित राशनकार्डों से स्थापित होता है। डीलर ने राशनकार्डों में केरोसीन के इन्द्राजों एवं संधारित वितरण रजिस्टर के मिलान के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आधार पर 132 लीटर कैरोसीन का गलत रिकॉर्ड बनाकर दुरूप्योग करना स्पषट है। जो शिकायत के तथ्यों की पुष्टि करता है। न्यायालय ने उचित आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलांट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official